प्रारूप 'ख'

(देखियें नियम 9(3),(4) और (6))

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर

कमांक : राजस्व/2018/1208 दिनांक :- 15/3/18

–:– सम्परिवर्तन आदेश –:–

प्रार्थी लक्ष्य शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान रामसर जरिये अध्यक्ष श्री अचलाराम धोला पुत्र श्री नाथाराम धोला जाति जाट निवासी जगमाल का तला तहसील रामसर जिला बाड़मेर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृत में धारित कृषि भूमि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 के अधीन संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ बाबत् निवेदन किये जाने पर तहसीलदार रामसर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि को संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ अकृषि प्रयोजन के लिए भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टयॉं निम्न प्रकार से है:–

01	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता	लक्ष्य शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान रामसर जरिये अध्यक्ष श्री अचलाराम धोला पुत्र श्री नाथाराम धोला
02	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है?	नहीं
03	सम्परिवर्तन भूमि का विवरण	
(क)	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम सिंगरपालों की ढाणी , रामसर तहसील रामसर
(ख)	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षैत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में)	खसरा नबरं. 474/297 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी सोयम
(ग)	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर में या वर्ग मीटर में	खसरा नबरं. 474/297 रकबा 5.00 बीघा सम्पूर्ण (यानि 8093.71 वर्ग मीटर)
04	संपरिवर्तित का प्रयोजन :–	संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ
05	संदेय संपरिवर्तित प्रभारों की दर	नियमानुसार 10/– प्रति वर्ग मीटर
06	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा, करायी गयी प्रीमियम की रकम :–	चालान संख्या (GRN) 21522839 दिनांक 08.03.2018 राशि 80940/-
07	चालान की संख्या और तारीख सहित शस्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	नहीं
08	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज,	नहीं
09	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :	नहीं
10	अन्य विशिष्टयॉं यदि, कोई हो	नहीं
11	उपर्युक्त संपरिवर्तित आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–	

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

	01	उपर्युक्त अकृषित प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
	02	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जाएगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन समपहृत हो जाएगा।
	03	नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
	04	संस्थागत प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
	05	प्रस्तावित भूमि में निर्माण ग्रामीण सड़क पर स्थित होने से इंण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार कि सड़क के मध्य से 15 मीटर (दोनो तरफ) भूमि छोड़कर संपरिर्तवन किया जाता है।
	6	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो /आदेशा की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
	7	ब्ल्यू प्रिन्ट व नक्शा ट्रेस संपरिवर्तन आदेश के अभिन्न अंग है।
	8	उपर्युक्त सभी शर्तो की पालना आवेदक द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उल्लंधन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेवार होगा।

संलग्न :—नक्शा एक

(विजयसिह नाहटा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : राजस्व/2018/ 1209-1213 दिनांकः— 15/03/18

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर।
2. तहसीलदार रामसर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संपरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना सुनिचित करें।
3. सचिव ग्राम पंचायत रामसर।
4. पटवारी रामसर।
5. प्रार्थी लक्ष्य शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान रामसर जरिये अध्यक्ष श्री अचलाराम धोला पुत्र श्री नाथाराम धोला

(विजयसिंह नाहटा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर